न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 68/2020

GCMS NO. : 2020/00115

–:: प्रार्थीया ::–

1. शांतिदेवी पुत्री तुलछाराम जाति सरगरा निवासी चावंडिया कलां तहसील जैतारण जिला–ब्यावर राज.

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. पेमाराम पुत्र तुलछाराम
2. पुखामरा पुत्र तुलछाराम फौत के का.मु.
   2/1. कालू पुत्र पुखाराम
   2/2. अशोक पुत्र पुखाराम
3. जसाराम पुत्र तुलछाराम फौत के का.मु.
   3/1. गट्टूडीदेवी पत्नी जसाराम
   3/2. ओमप्रकाश पुत्र जसाराम
4. राजूराम पुत्र तुलछाराम फौत के का. मु.
   4/1. सुवालाल पुत्र राजूराम फौत के का.मु.
   4/1/1 मंजूदेवी पत्नी सूवालाल
   4/1/2 अंकित पुत्र सूवालाल
   4/1/3 अभिषेक पुत्र सुवालाल
   4/1/4 प्रवीण पुत्र सुवालाल
   4/1/5 सोनू पुत्री सूवालाल
   4/2 दुर्गाराम पुत्र राजूराम फौत के का.मु.
   4/2/1 गुड्डीदेवी पत्नी दुर्गाराम
   4/2/2 विशाल पुत्र दुर्गाराम
   4/2/3 सुनिल पुत्र दुर्गाराम
   4/2/4 उषा पुत्री दुर्गाराम
   4/2/5 पायल पुत्री दुर्गाराम
   प्रतिवादीगण संख्या 4/2/2 से 4/2/5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता 4/2/1 गुड्डी देवी पत्नी दुर्गाराम जाति सरगरा निवासीगण चावंडिया कलां तहसील जैतारण जिला–ब्यावर (राज.)
5. मोहनलाल पुत्र जीवाराम जाति मेघवाल
6. मथुराई पत्नि नैनाराम जाति मेघवाल

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

7. कोयली पत्नि माधुराम जाति मेघवाल
   निवासीगण चावंडिया कलां तहसील
   जैतारण जिला–ब्यावर
8. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी
   जैतारण जिला–ब्यावर
   (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 08/10/2020

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री सुगनचंद सतनामी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।
3. श्री महेन्द्रकुमार गुर्रा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय :–

दिनांकः 31/01/2024

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर की सीमा में खसरा नम्बर 442 रकबा 4–08 बीघा व खसरा नम्बर 436 रकबा 5–01 बीघा की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार वक्त सैटलमेन्ट के प्रार्थीया के पिता तुलछाराम पुत्र पन्नाजी थे। जिसकी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2021 से 2024 की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। उपरोक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि को इस प्रार्थनापत्र मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या एक से चार की वंश वंशावली वादपत्र में वर्णित है। इस प्रकार प्रार्थीया प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के वक्त सैटलमेन्ट के खातेदार काश्तकार तुलछाराम पुत्र पन्नाजी की पुत्री है तथा अप्रार्थीगण संख्या एक से चार प्रार्थीया के सगे भाई है। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक से चार संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं तुलछाराम पुत्र पन्नाजी की उतराधिकारी एवं वारिसान है। विवादित आराजी के वक्त सैटलमेन्ट के खातेदार तुलछाराम पुत्र पन्नाजी थे जिनका हक हिस्सा व अधिकार एवं खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि थी जो जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 में स्पष्ट है। उक्त तुलछाराम पुत्र पन्नाजी के देहान्त होने पर फौतेदगी म्युटेशन संख्या 305 दिनांक 03/05/1981 के जरिये उनके वारिस एवं उतराधिकारी केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी इन्द्राज किया गया जो जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 से स्पष्ट है। इस प्रकार विवादित कृषि भूमि में प्रार्थीया के पिता तुलछाराम का बतौर खातेदारी इन्द्राज संवत 2021 से 2036 तक लगातार यथावत् रहा। नकल जमाबन्दी संवत 2021 से 2040 तक की प्रमाणित प्रतिया प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। विवादित कृषि भूमि के तत्कालीन

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

खातेदारी प्रार्थीया के पिता तुलछाराम पुत्र पन्नाजी का देहान्त होने पर फौतेदगी म्युटेशन संख्या 305 के अनुसार उनके चारो पुत्र अप्रार्थीगण संख्या एक से चार के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया गया। जो फौतेदगी म्युटेशन संख्या 305 कानून की निगाह में अवैध व शून्य है क्योकि उक्त म्युटेशन की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार तुलछाराम के विधिक वारिसान की कोई जांच किये बगैर एवं बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये केवल मात्र मृतक खातेदार तुलछाराम के चारो पुत्र अप्रार्थीगण संख्या एक से चार के नाम ही भरा गया जबकि मृतक खातेदार तुलछाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारी एवं वारिसान प्रार्थीया का नाम उक्त फौतेदगी म्युटेशन में इन्द्राज किया जाना चाहिये था जो नही किया गया इसलिए कानून की निगाह मे एक रोंग एन्ट्री है तथा प्रार्थीया के हक अधिकारो के खिलाफ शून्य एवं निष्प्रभावी है। इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 305 खिलाफ कानून होने से एवं अवैध व शून्य होने से एवं प्रार्थीया उक्त म्युटेशन को अपास्त करवाकर अपने नाम विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार के मृतक खातेदार तुलछाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के साथ संयुक्त रुप से बराबर बराबर हक हिस्से के प्रार्थीया भी खातेदार काश्तकार होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् अपास्त करने म्युटेशन संख्या 305 व प्रार्थीया के नाम खातेदारी इन्द्राज की घोषणा हेतू खिलाफ अप्रार्थीगण के सादर पेश है। विवादित म्युटेशन संख्या 305 की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। विवादित आराजी मे प्रार्थीया का भी माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके पिता तुलछाराम की अचल सम्पति विवादित भूमि मे उनके देहान्त के बाद हक अधिकार व हिस्सा निहित है एवं प्रार्थीया अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है केवल मात्र
राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीया का नाम इन्द्राज नही कर देने मात्र से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त नही होते है। प्रार्थीया मृतक खातेदार तुलछाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारी एवं वारिसान होने से विवादित भूमि के माफिक कानून खातेदार है परन्तु उक्त म्युटेशन संख्या 305 मृतक खातेदार तुलछाराम के देहान्त के पश्चात बिना उनके सभी वारिसान की जांच किये केवल मात्र उनके चारो पुत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम पारित किया गया जो अवैध व शून्य है तथा प्रार्थीया के हक अधिकारो के विरुद्ध निष्प्रभावी है। जबकि विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि एक निर्वसीयत हिन्दू पुरुष का देहान्त होने पर उनके समस्त प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी पुत्र, पुत्रीया एवं विधवा पत्नी के नाम कृषि भूमि में बतौर फौतेदगी म्युटेशन के जरिये इन्द्राज किया जाना कानूनी रुप से आवश्यक है। इस विधि की प्रक्रिया की पालना उक्त विवादास्पद म्युटेशन संख्या 305 पारित करते समय नही की गयी है इसलिए इस म्युटेशन को अपास्त कर प्रार्थीया को उनकी पैतृक पुश्तैनी विवादित कृषिभूमि के खातेदार काश्तकार मृतक तुलछाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् घोषणा का विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि म्युटेशन एक फिसकल कार्यवाही है और म्युटेशन के आधार से न तो किसी व्यक्ति के हक अधिकार समाप्त किये जा सकते है और न ही किसी व्यक्ति के हक अधिकार सृजित किये जा सकते है। विवादित आराजी मे प्रार्थीया का भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के साथ संयुक्त रुप से बराबर बराबर हक

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

हिस्सा व अधिकार निहित है क्योकि प्रार्थीया विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार तुलछाराम पुत्र पन्नाजी की जायन्दा पुत्री है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत मृतक तुलछाराम जी के वारिसान व उतराधिकारी है इसलिए तुलछाराम जी के हक हिस्से की खातेदारी की विवादित कृषिभूमि मे प्रार्थीया का भी माफिक कानून अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के साथ संयुक्त रूप से बराबर बराबर हक हिस्सा व अधिकार निहित है। परन्तु तुलछाराम जी के देहान्त के पश्चात म्युटेशन संख्या 305 पारित किया गया वह एक रोंग एन्ट्री है और उस रोंग एन्ट्री के आधार पर तुलछाराम जी के चारो पुत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम ही जरिये फौतेदगी म्युटेशन के विवादित कृषि भूमि मे इन्द्राज किया गया जबकि मृतक तुलछाराम के प्रार्थीया भी प्रथम श्रेणी के जिवित उतराधिकारी एवं वारिसान है इसलिए प्रार्थीया का नाम विवादित कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के साथ संयुक्त रूप से बराबर बराबर हक हिस्सा व अधिकार होने से खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के प्रार्थीया अधिकारी होने से घोषणा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के सादर पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने अवैध शून्य व रोंग एन्ट्री म्युटेशन संख्या 305 के जरिये विवादित कृषि भूमि में केवल मात्र उक्त कृषि भूमि मे चारो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का नाम इन्द्राज हो जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित भूमि के भाग को विभिन्न व्यक्तियो को अलग अलग समय पर अलग अलग दस्तावेज के जरिये हस्तान्तरण कर दी है उक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा किये गये सभी प्रकार के हस्तान्तरण के दस्तोवज प्रार्थीया के हक अधिकारो के खिलाफ शुरू से ही नल एण्ड वोइड है एवं प्रार्थीया के हक अधिकारो के विरूद्ध निष्प्रभावी है तथा ऐसे नल एण्ड वोईड निष्प्रभावी हस्तान्तरण के दस्तावेजो के आधार पर अप्रार्थीगण को विवादित कृषि भूमि मे प्रार्थीया की हक हिस्से व अधिकार की विवादित भूमि मे कोई हक अधिकार न तो प्राप्त हुए थे और न ही कानूनन प्राप्त हो सकते है। कानून की निगाह मे ऐसे हस्तान्तरण के दस्तावेज प्रार्थीया के हक अधिकारो को कतई प्रभावित नहीं कर सकते है इसलिए ऐसे सभी हस्तान्तरण के दस्तावेज शुरू से ही नल एण्ड वोइड होने से एवं प्रार्थीया के हक अधिकारो के विरूद्ध निष्प्रभावी होने से प्रार्थीया की और से विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतू यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का प्रार्थनापत्र खिलाफ अप्रार्थीगण _ के सादर पेश है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त सामलाती हिन्दू खानदान की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमे माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत एवं मृतक खातेदार तुलछाराम के प्रार्थीया पुत्री होने से एवं प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से काबिज खातेदार काश्तकार है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे तुलछाराम के फौत होने के पश्चात विवादित फौतेदगी म्युटेशन संख्या 305 के जरिये प्रार्थीया का नाम विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड इन्द्राज नही किया गया जो फौतेदगी म्युटेशन अवैध एवं शून्य है तथा कानून की निगाह मे एक रोंग एन्ट्री है। इसलिए प्रार्थीया खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से तथा माफिक कानून प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि के खातेदार होने से प्रार्थीया अपने हक हिस्से व अधिकार एवं बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् घोषणा व बंटवाडा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत एवं मुतवफी तुलछाराम जी के प्रार्थीया प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से विवादित कृषि भूमि मे

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
[illegible]

माफिक कानून प्रार्थीया का भी हक हिस्सा व अधिकार निहित है और प्रार्थीया अपने हक हिस्से व अधिकार तथा बंट की भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है परन्तु अप्रार्थीगण ‚ प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही होने का नाजायज फायदा उठाकर दिनांक 13/09/2020 को मौके पर आकर प्रार्थीया को ऐलानिया धमकीया दी कि तुम्हारा नाम राजस्व रेकर्ड मे नहीं है इसलिए यह जमीन खाली कर दो वरना लाठी डंडो के बल पर तुम्हारे को बेकाबिज कर देगे और हमारा (अप्रार्थीगण) नाम विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है इसलिए हम विवादित कृषिभूमि व इसके भाग को किसी अन्य को रहन बेचान हस्तान्तरण कर उक्त विवादित भूमि को खूर्दबुर्द कर देगे, तब प्रार्थीया ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 16/09/2020 को प्राप्त करने पर प्रार्थीया को सर्व प्रथम बार जानकारी हुई कि उसके पिता तुलछाराम के फौत होने के बाद फौतेदगी म्युटेशन केवल मात्र अप्रार्थीगण ‚ संख्या 1 से 4 के नाम ही भरा जाकर राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का नाम ही इन्द्राज किया गया एवं प्रार्थीया का नाम इन्द्रज नही किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि गलत म्युटेशन जो रोंग एन्ट्री होती है ऐसी रोंग एन्ट्री जब भी ध्यान में आती है तब उसे किसी भी समय निरस्त करवाई जा सकती है कानून में इसके लिये कोई समय सीमा लागु नही होती है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन नापाक इरादो एवं कृत्यो मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीया अपनी पैतृक पुश्तैनी हक अधिकार व हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे एवं प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी बढेगी तथा पेचीदगिया पैदा होगी इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे अवैध कृत्यो को रोके जाने बाबत् प्रार्थीया के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 436 रकबा 5-01 बीघा मे जरिये म्युटेशन संख्या 1409 निर्णय दिनांक 30/06/2016 को उक्त वादग्रस्त रकबे मे से 2-04 बीघा कृषि भूमि गै.मु. सडक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार के नाम जरिये अवाप्ती के अवाप्त की गई जिसका भी मुआवजा प्रार्थीया को प्राप्त नही हुआ व वर्तमान मे खसरा नम्बर 436 की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में 2-17 बीघा इन्द्राज है। परन्तु वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 436 प्रार्थीया के पिता तुलछाराम की स्वामित्व एवं हक हिस्से की भूमि थी उक्त 5-01 बीघा भूमि में से 2-14 बीघा भूमि अवाप्त की उसका भी मुआवजा प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी है वर्तमान मे उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में 2-17 बीघा इन्द्राज है। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित खसरा नम्बर 442 रकबा 4-08 बीघा व खसरा नम्बर 436 रकबा 5-01 बीघा मे से प्रार्थीया अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे काश्त व काश्त मुताबिक तमाम कार्य खडाई बुवाई कटाई सिंचाई निराई गुडाई आदि करे या करावे तो उसमे अप्रार्थीगण उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से कोई बाधा, अडचन, व्यवधान, दखल व दस्तन्दाजी नही करे तथा जब तक उक्त विवादित भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि को आगे किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नहीं करे न ही प्रार्थीया को उनके कब्जे से बेदखल करे एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् रखने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2/1 से 4/2/5, 6 व 7 की ओर से वकील श्री सुगनचंद सतनामी व अप्रार्थीगण संख्या 5 की ओर से वकील श्री महेन्द्रकुमार गुर्रा ने वकालतनामा पेश किया गया, जो मूलवाद में सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 4/1/1 से 4/1/5 के विरूद्ध बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दीगर अप्रार्थीगण को अनेकानेक अवसर देने के पश्चात् भी जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अतः जवाब प्रा.पत्र बंद किया गया।

बहस वकील वादीया/प्रार्थीया व वकील अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** वाद–पत्र मय दस्तावेजात, हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा सरहद मौजा चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर की सीमा में खसरा नम्बर 442 रकबा 4–08 बीघा व खसरा नम्बर 436 रकबा 5–01 बीघा में स्थित कृषि भूमि को पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। वादपत्र में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2021–2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 436 व 442 के तत्कालीन खातेदार तुलसा पुत्र पना कौम सरगरा थे। जमाबन्दी संवत् 2025–2032 में तुलसा पुत्र पना कौम सरगरा लगातार नाम यथावत रहा। जमाबन्दी संवत् 2033–2036 में अंकित नोट नामान्तरकरण पंजिका में अंकित म्यूटेशन संख्या 305 दिनांक 03.05.1981 में अंकित फौतेदगी म्यूटेशन में तुलसा पुत्र पना कौम सरगरा के स्थान पर इनके वारिसान जसा, पुका, पेमा, राजू पि0 तुलछा के नाम नामान्तरकरण भरा गया। जमाबन्दी संवत् 2037–2040 के अनुसार फौतेदगी म्यूटेशन नम्बर 363 दिनांक 4.2.1983 में पुखा पुत्र तुलसा के स्थान पर कालू, अशोक पि. पुखा एवं राजू पुत्र तुलसा के स्थान पर दुर्गा, पप्पु पि. राजू के नाम नामान्तरकरण भरा गया। जमाबन्दी संवत् 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57 में तुलसा पुत्र पना के वारिसान के रूप में जसा, पेमा पि. तुलसा, कालू, अशोक पि. पुखा व दुर्गा, पप्पु पि. राजू कौम सरगरा का नाम वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार के रूप में चला आ रहा है। जमाबन्दी संवत् 2058–61 नामान्तरकरण संख्या 810 दिनांक 26.02.2003 जरिये बेचान के खसरा संख्या 442 में पेमा पुत्र तुलछा के स्थान पर मोहनलाल पि. जीवाराम कौम मेघवाल दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2062–65 में दोनो खसरों के खाते अलग–अलग किये गये। जमाबन्दी संवत् 2062–2065 खसरा संख्या 442 में जसा पि. तुलछा, कालू अशोक पि. पुखा, दुर्गा पप्पु पि. राजू कौम सरगरा, मोहनलाल पि. जीवाराम व खसरा संख्या 436 में जसा पेमा पि. तुलछा, कालू

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

अशोक पि. पुखा, दुर्गा पप्पु पि. राजु कौम सरगरा कौम सरगरा चला आ रहा है। जमाबन्दी संवत् 2066-69 के खसरा संख्या 436 व 442 में नामान्तरकरण संख्या 1080 दिनांक 27.11.2012 से जसा पुत्र तुलछा के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र जसा व गटूडी पत्नि नाम दर्ज किया गया, दर्ज शेष बदस्तुर रहे। जमाबन्दी संवत् 2070-73 खसरा संख्या 442 में न्यायालय आदेश से नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 14.10.2016 पप्पु पि. राजु के स्थान पर सुवालाल पि. राजुराम दर्ज हुआ। जमाबन्दी संवत् 2070-73 खसरा संख्या 436 में न्यायालय आदेश से पप्पु पि. राजु के स्थान पर सुवालाल पि. राजुराम एवं जरिये बेचान के नामान्तरकरण संख्या 1493 दिनांक 20.01.2017 से पेमा पुत्र तुलछा कौम सरगरा के स्थान पर कोयलीदेवी पत्नि माधुलाल कौम रेगर दर्ज हुआ। जरिये बेचान नामान्तरकरण संख्या 1522 दिनांक 11.07.2017 से कोयलीदेवी पत्नि माधूराम जाति रेगर हि. 9/14 व मुथराई पत्नि माधूराम कौम मेघवाल हि. 5/14 दर्ज हुआ एवं भूमि अवाप्ति के नामान्तरकरण संख्या 1409 दिनांक 30.06.2016 से खसरा सं 436/1 रकबा 2-04 किस्म सडक दर्ज करते हुए मूल खसरा संख्या से अलग किया हुआ। जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खसरा संख्या 436 में जरिये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1562 दिनांक 20.06.2018 से दुर्गा पुत्र राजू के स्थान पर गुड्डी पत्नि दूर्गाराम, सुनिल उषा पायल पि. दुर्गाराम ना.बा. की वली माता गुड्डी पत्नि दुर्गाराम दर्ज हुआ एवं जमाबन्दी संवत् 2074-77 खसरा संख्या 442 में नाम बदस्तूर जारी रहे। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से हक-अधिकार निहित होता है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पिता के निर्विसीयत फौत होने पर उसके सभी वारिसानों का उसकी संपत्ति में हक-अधिकार निहित होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से निहित अपने हक-हिस्से पर सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थीया का अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का पूर्व में भी बैचान किया जा चुका है एवं आगे भी किसी अन्य को हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीया को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थीया

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
केकड़ी

के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8** को प्रार्थीया के हक-हिस्से की वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया भू-अभिलेख निरीक्षक आगेवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर की सीमा में खसरा नम्बर 442 रकबा 4-08 बीघा व खसरा नम्बर 436 रकबा 5-01 बीघा की कृषि भूमि स्थित में प्रार्थीया के हक-हिस्से का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नही करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर